न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार आर.ए.एस.

अपील सं. 31/2017

1. राधेश्याम
2. इन्द्रपाल
3. सुमित्रा
4. सोमा

पिसरान पृथ्वीराज जाति बिश्नोई निवासी 2 टी.के तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलार्थीगण

बनाम

1. सम्पति देवी पत्नी सुरजाराम
2. राजेशकुमार पुत्र सुरजाराम
3. विनोदकुमार पुत्र सुरजाराम
4. सुनीलकुमार पुत्र सुरजाराम

जाति बिश्नोई निवासी 2 टी.के तहसील रायसिंहनगर जिला श्रीगंगानगर।

5. स्टेट आफ राजस्थान ।

——रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अन्तर्गत धारा 223 रा.का.अ. 1955
विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर दिनांक 31.01.2017

उपस्थितः—

श्री सतपाल बिश्नोई अभिभाषक अपीलार्थी
श्री राधेश्याम बिश्नोई अभिभाषक रेस्पोडेन्टान
श्री वेदप्रकाश शर्मा राजकीय अधिवक्ता

निर्णय दिनांक 19.01.2018

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में वादीगण/अपीलार्थीगण ने एक वाद न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिहनगर के समक्ष रा.का.अ.की धारा 88, 53, 92ए , 188, 209 के तहत पेश कर चक 2 टी.के. के मु.न. 44 प.न. 167/299 के कि.न. 9 से 17 की 2.075 है0 भूमि का वादीगण को खातेदार घोषित करने एवं दस्तबरदारी दिनांक 01.06.2002 व 10.06.2002 शून्य, प्रभावहीन व वादीगण के हितों के विरूद्ध

19/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

होने से अमान्य घोषित किया जावे एवं प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वे विवादित भूमि को किसी प्रकार से मुन्तकिल नहीं करे।

प्रतिवादीगण ने जबाव दावा पेश कर वाद खारिज करने का निवेदन किया। दावा एवं जबाव दावा के आधार पर अधी.न्यायालय ने अनुतोष सहित 14 वाद बिन्दु कायम किये गये। दिनांक 02.02.2016 को प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 व 151सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद को खारिज करने का निवेदन किया। उक्त प्रार्थना पत्र का जबाव वादीगण ने पेश कर प्रार्थना पत्र खारिज करने का निवेदन किया ।

सुनवाई करने के पश्चात अधी.न्यायालय ने दिनांक 31.01.2017 को प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वाद वादीगण खारिज कर दिया जिसके विरूद्ध यह अपील पेश हुई है।

उभय पक्ष की बहस सुनी गई ।

विद्वान अभिभाषक अपीलार्थीगण ने अपनी बहस में मुख्य रूप से अपील मीमों एवं वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अधी.न्यायालय में जबाव दावा आकर तनकीयात कायम हो चुकी थी एवं उन पर साक्ष्य लेकर ही निर्णय करना चाहिए था जो नहीं किया है। अधी.न्यायालय ने आदेश 7 नियम 11 सीपीसी स्वीकार कर कानूनी भूल की है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश को निरस्त किया जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पो. ने अपनी बहस में कथन किया कि वादीगण द्वारा दस्तबरदारी को निरस्त कराने का वाद में अनुतोष चाहा है जो सिविल न्यायालय से ही दिया जा सकता था ऐसी स्थिति में अधी.न्यायालय में वादीगण का वाद चलने योग्य नहीं था जिस पर प्रतिवादीगण ने प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 सीपीसी पेश किया जो अधी.न्यायालय ने स्वीकार कर कोई भूल नहीं की है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावे ।

उभय पक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया।

19/1/18
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अपील अधी. न्यायालय उपखंड अधिकारी रायसिंहनगर के निर्णय दिनांक 31.01.2017 के विरूद्ध पेश की गई है जिसमें अधी.न्यायालय द्वारा अपीलांट द्वारा प्रस्तुत दावा रेस्पो द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत सिविल प्रकिया संहिता आदेश 7 नियम 11 स्वीकार कर दावा खारिज किया है, जबकि दावे का निर्णय निर्मित तनकियात विनिश्चत होकर गुणावगुण के आधार पर नहीं करने से अधी.न्यायालय का निरस्त अपास्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी.न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया, अधी.न्यायालय के निर्णय में विवादित भूमि रेस्पो. के पूर्वज सुरजाराम द्वारा पृथ्वीराज से कय किया जाना दर्शाया है परन्तु मुद्रांक चोरी के उदेश्य से हक तर्क का दस्तावेज पंजीबद्ध करवाया है। जिसके सम्बन्ध में भारतीय मुद्रांक अधिनियम 1899 की धारा 47 सी को Invoke करते हुए अधी.न्यायालय के निर्णय की प्रति व इस न्यायालय के निर्णय की प्रति उप महानिरीक्षक पंजीयन एवं मुद्रांक विभाग हनुमानगढ़ को आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजे तथा जो बुनियादी तौर पर गलत वर्गीकरण का दस्तावेज है जिसे आधार मानकर दावा खारिज करना अधी.न्यायालय द्वारा विधिक भूल है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन आदेश दिनांक 31.01.2017 खारिज किया जाता है तथा अनुवर्ती कार्यवाहियो में जिस सन्दर्भ हक तर्क के आधार पर जो नामान्तकरणकरण खोला जाकर स्वीकृत होना जाहिर किया है उसे खारिज करने के आदेश दिये जाते है। पश्चातवर्ती नामान्तरणकरण स्वतः ही निरस्त माने जायेगे । रेकार्ड पृथ्वीराज के नाम बहाल होकर सन्दर्भ नियमों में कार्यवाही योग्य है।

निर्णय आज दिनांक 19.01.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

19.1.18

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर